Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

पंचवर्षीय योजनाओं का ग्रामीण विकास में महत्व

Rajesh Kumar*

VPO-Barsana, Tehsil-Pubdri, District-Kaithal, Haryana

सार – *ग्रामीण विकास का अभिप्राय लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ साथ सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीणों के आर्थिक विकास की बेहतर संभावनायें उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा ऋण और निवेश को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्तियों में परिवर्तनी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण गरीबी प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार कुलस्वरूप होती है। इसलिए गांवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अनेक कार्यों का मिश्रण होना चाहिए जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली नये रोजगार उत्पन्न करने वाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने वाली, संचार सुविधाओं का विस्तार करने वाली तथा आवासीय स्थिति सुधारने वाली परियोजनायें सम्मिलित हों।*

----------X----------

प्रस्तावना

भारत में ग्रामीण विकास हैतु निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता एवं पिछड़े पन की समस्याओं के निराकरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई दिशा देने हैतु 02.10.1992 से प्रांरभ की गई तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक समस्याओं और दुर्बलताओं का ज्ञान हुआ। तद्नुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए इन प्रयोगों के उपरांतीरत सरकार ने 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्गो का लक्ष्य समूह माना गया। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्षमतायुक्त आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की गयी। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, ट्राईसेम आदि कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए निर्धन एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को सार्थक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रांरभ किए गए। इन सभी कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और विकास को गति मिली है। परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण इनका प्रतिफल वांछित स्तर तक प्राप्त नही हो सका।

ग्रामीण विकास का महत्व, अर्थ एवं परिभाषाएं

भारत में ग्रामीण विकास हैतु निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता एवं पिछड़े पन की समस्याओं के निराकरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को एक नई दिशा देने हैतु 02.10.1992 से प्रांरभ की गई तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक समस्याओं और दुर्बलताओं का ज्ञान हुआ। तद्नुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए इन प्रयोगों के उपरांतीरत सरकार ने 1978 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया।

जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्गो का लक्ष्य समूह माना गया। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्षमतायुक्त आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की गयी। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, ट्राईसेम आदि कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए निर्धन एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को सार्थक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रांरभ किए गए।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ साथ सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीणों के आर्थिक विकास की

www.ignited.in

बेहतर संभावनायें उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा ऋण और निवेश को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्तियों में परिवर्तनी समान रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण गरीबी प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार केुलस्वरूप होती है। इसलिए गांवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम को अनेक कार्यों का मिश्रण होना चाहिए जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने वाली नये रोजगार उत्पन्न करने वाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार लाने वाली, संचार सुविधाओं का विस्तार करने वाली तथा आवासीय स्थिति सुधारने वाली परियोजनायें सम्मिलित हों।

ग्रामीण विकास से अभिप्राय है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो लोगों को एक विशिष्ट समूह निर्धन ग्रामीण के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने के लिए बनायी गयी है। इसके माध्यम से विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की तलाश में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुंचाना हैं

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जानकारी प्रदान करना।

2. ग्रामीण विकास योजनाओं में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक समस्याओं का पता लगाना।

ग्रामीण विकास का अर्थ-

ग्रामीण विकास का अर्थ निम्नलिखित है-

1. सरकार की पत्रिका 'भारत (India) के अनुसार, ''ग्रामीण विकास आत्म सहायता का कार्यक्रम है, अर्थात ग्रामीण जनता स्वयं ही योजना बनाए ओर उन्हैं कार्यान्वित करे तथा सरकार की ओर से केवल प्राविधिक मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता ही मिले''।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार- ''ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जो जनता के प्रयासों को सरकारी प्रयासों से सुसम्बद्ध करती है जिससे कि समुदायों की आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा की उन्नति की जा सके ओर उन्है राष्ट्रीय प्रगति में पूर्णतया योगदान देने के योग्य बनाया जा सके''।

3. लोहबोह के शब्दो में- ग्रामीण विकास योजना गहन विकास की ओर एक सुसंगठित ओर नियोजित प्रयत्न है।

4. प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)- ग्रामीण विकास का आशय ग्रामीण जनता के सर्वांगीण या सर्वोन्मुखी विकास से है।

ग्रामीण विकास-

ग्रामीण विकास का यह उद्देश्य रहा है कि ऐसी समता वादी समाज की स्थापना हो। जहां पर व्यक्ति समान हो सभी को अवसरों की समानता हो तथा विभिन्न क्षेत्रों, समाजों, वर्गों एवं लोगों में विशमता न हो परंतु स्वतंत्रता के छः दशक बीत जोने के बादी देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक असमानता देखने को मिलती है। एक ओर जहां शहरी क्षेत्र तेजी से विकास की ओर अर्गसर है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न अभावों के साथ विकास के समुचित लाभ से वंचित है। विकास से सम्बन्धित उपलब्ध आकड़े दर्शाते हैं कि देश में ग्रामीण लोगों की उच्च सतरीय सेवाओं तक पहुंच तुलनात्मक दृष्टि सेपिछड़ी अवस्था में है। आर्थिक उदारीकरण एवं संरचनात्मक परिवर्तन के दौर में बडें नगर विकास की धूरी बनकर उभरे हैं। नवोन्मुखी रोजगार एवं सुविधाएं इन्ही शहरों तक सिमट कर रह गई है। दूसरे क्षेत्रों में परिवर्तन की गति गांवों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप गांव एवं शहर के बीच असमानता है।

सामाजिक समूह (Social Group) सामाजिक समूहों को विद्वानों नेअलग-अलग परिभाषित किया है- आगवर्न व निम्काफ के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, अपनी आवश्यकताओं, स्वार्थों, आदर्शों एवं रूचियों की पूर्ति करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। समूह में व्यक्तियों में परस्पर स्नेह व सहानुभूति होती है और उनमें दूसरे के हित को अपना हित समझने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

www.ignited.in

टी.वी. बाटामोर- वाटामोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलनको कहते हैं जिनमें - विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित सम्बन्ध होते हैं। इनमें सामाजिक सम्बन्ध पाया जाता है, व्यक्ति किसी समूह का सदस्य है तो उसके लिये आवश्यक है कि वह स्वयं को समूह विशेष का सदस्य समझे और उसके प्रति हम की भावना रखें। समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूही उसे उस समूह का सदस्य समझें।

हॉट व रेस के अनुसार - समूह अन्तःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठितसंग्रह है। अन्तः क्रिया से आशय है समस्याओं के समाधान के लिये किये गये प्रयत्नों में व्यक्ति और समूह एक दूसरे पर जो पारस्परिक प्रभाव डालते हैं, उसे अंतः क्रिया कहते हैं।

चाल्स हॉर्टन कूले (अमरीकन समाजशास्त्री) के अनुसार- "समूह के सदस्य आमने सामने एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं और जिनके अन्तर्गत मित्र साथी परिवार के लोग तथा, प्रतिदिन मिलने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध होते हैं। घनिष्ठ संबंधों के परिणामस्वरूप व्यक्तियों का एकसामान्य समग्रता में एक प्रकार से घुल-मिल जाना है। उनमें परस्पर सहानुभूति और पारस्परिक परिचय बड़ा गहन हो जाता है।

मैकाइवर और पेज के अनुसार- "समूह वह है, जिसमें थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने-सामने मिलते हैं और पारस्परिक सहायता करते हैं। उन प्रश्नों पर वाद-विवाद करते हैं। जो उन सबसे सम्बन्धित होते हैं या किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या क्रियान्वित करते हैं।7 समूह परिवार के रूप में ऐसा समूह है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप देते हैं। यह हमारी रूढ़ियों के पालन-पोषण का स्थान होता है।

स्थिति, विस्तार एवं रीवा संभाग भौगोलिक स्थिति

रीवा भारत का भौगोलिक केन्द्र में स्थित है, यह की संगमरमर चट्टानों की व्यापक रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। दुनियाभर के पर्यटकों से यह पर्यटन स्थलीभरा रहता है चट्टानों पर संगमरमर का गवाह उत्तम सोंदर्य केशवकी सुंदरियों के बीच भोगोलिक सुंदरती है इनके नीचे युक्तियां संतुलन साधने की चट्टानों संतुलित विशाल चट्टानों को प्राकृतिक रूप से देखा जा सकता है। रीवा पहाड़ियों पर ओर पवित्र नर्मदा के तट पर स्थित है ओर एक पोराणिक महानी भूवैज्ञानिक ओर ऐतिहासिक अतीत है कि रीवा जिसके व्युत्पन्न अपने नाम से ऋषि रीवा नर्मदा के पवित्र जल से ही धन्य है। नर्मदा नदी के तट पर पत्थर का शिवलिंग है। महान योगी उसके तट पर ज्ञान प्राप्त करतेहै। नर्मदा को शिवीभगवान की बेटी माना जाता है।

रीवा प्रदेश के 10 संभागों में से एक बड़ा संभाग है, संभाग का मुख्यालय में ही संगमरमरी चट्टानों से बहती नर्मदा नदी, प्रदेश का उच्च न्यायालय, तीन विश्वविद्यालय, सेना की छावनी तथा आयुध निर्माण संस्थान, गोंडवाना राजाओं की धरोहर किला, इस संभाग की महत्ता पर चार चांद लगाते है। संभाग के 8 जिलों में 49 तहसील और 65 विकासखण्ड एवं 104 राजस्व निरीक्षक खण्ड एवं 28 आदिम जाति कल्याण विकासखण्ड है। संभाग में ग्राम पंचायतों की संख्या 3464 हैं, संभाग में ग्रामों की संख्या 10.619 हैं, ग्रामों की सबसे अधिक संख्या रीवा जिले में हैं, जिससे इस जिले में सबसे अधिक 781 ग्राम पंचायत हैं। संभाग में सबसे अधिक 16 विकासखण्ड मण्डला जिले में एवं सबसे कम 6 विकास खण्ड नरसिंहपुर जिले में हैं।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसन्धानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पलनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस अध्ययन में निम्न साहित्य की समीक्षा की गई हैः-

विनोद कुमार शर्मा (2013)- 'मनरेगा योजना से ग्रामीण भारत का बदलता स्वरूपः महिला सशक्तीकरण एवं पंचायतीराज के संदर्भ में (2009-2010) प्रस्तुत लघु शोध कार्य रीवा राज्य के सीकर एवं चुरू जिले के विशेष सन्दर्भ में किया गया है। इस अध्ययन में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का सर्वेक्षणात्मक विश्लेषण किया दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा के क्रियान्वयन एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विवेचन किया गया है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा की भूमिका का सीकर एवं चूरू जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है।

देवेन्द्र उपाध्याय की पुस्तक 'पंचायती राज व्यवस्था' (2011) में भारत में पंचायती राज व्यवस्था वग्रामीण विकास के सम्बंध में गठित की गयी विभिन्न समितियों व उन समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। पंचायती राज की विकास यात्रा में 1952 में प्रारम्भ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1957 में गठित बलवंत राय

www.ignited.in

मेहता समिति, 1993 मे लागू 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

पी.एन.पाण्डेय ने 'ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन' (2012) पुस्तक के अन्तर्गत राजनीति, राजनीति और पंचायती राज जैसे तथ्यों का अध्ययन, ग्रामीण पंचायत एवं राजनीति शॉक्ति संरचना के संदर्भ में किया है। इस पुस्तक के अन्तर्गत ग्रामीणों की राजनीति में रूचि और सहभागिता की स्थिति, ग्रामीण विकास के कार्यों में भागीदारी आदि का विवेचन किया गया है।

डॉ. आर. पी. जोशी व डॉ. अरुणा भारद्वाज की पुस्तक 'भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन' (2015) में विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता के औचित्य एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया है। भारत के विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि भारत देश के पुनर्निर्माण, विकास एवं जनकल्याण को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्र निर्माताओं ने लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया। जनसहभागिता के बाधक तत्व बताते हुए उनके निराकरणो को भी स्पष्ट किया गया है। पंचायतीराज व्यवस्था में सम्पूर्ण गाँव के विकास कार्यक्रमों के प्रबन्धन का दायित्व गाँव वालों का होता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में प्रत्येक गाँववासी की भूमिका मूक दर्शक की न होकर सक्रिय कार्यकत्ता की होती है। 73वें संविधान सशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अतः ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो गई है।

डॉ. डी. सी. पन्त ने अपनी पुस्तक 'भारत में ग्रामीण विकास' (2011) मे ग्रामीण विकास की समस्याओं का विस्तृत विवेचन करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत ने स्वाधीन होते ही पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये योजनाबद्ध आर्थिक विकास की राह पकड़ी। ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रकार की योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन किया गया, परंतु लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समीक्षा करने पर स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाये गये गरीबी निवारण एवं बेकारी उन्मूलन कार्यक्रम बहुत कम मात्रा में सफल रहे हैं।

स्वाधीनता के बाद देश में ग्रामीण विकास की दिशा में सर्व प्रथम पहल वर्ष 1952 में की गयी। गरीबों एवं ग्रामीण विकास के हित चिन्तक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जन्म-दिवस 2 अक्टूबर, 1952 को भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी स्तरों के लोगों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं जीवन के अन्य सभी पक्षों के सन्तुलित विकास से है।

पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारत गांवों का देश है और प्राचीनकाल से ही ग्रामीण इकाई भारतीय शासन व्यवस्था का केन्द्र बिन्दू रही हैं सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं दूसर षब्दों में ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति तथा विकास पर ही देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता हैं अन्य शब्दों में ग्रामीण विकास के बिना भारत के सम्पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार अयोग के छठे प्रतिवेदन में कहा गया है कि किसी भी समुदाय का समग्र विकास उच्च स्तरीय सरकारों द्वारा नहीं बल्कि स्थानीय लोंगों द्वारा ही किया जा सकता हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास एक स्वाभाविक एवं रूचिप्रद विषय रहा है, प्रारम्भ में विकास कार्यक्रमों का क्षेत्र अत्यन्त सीमित रूप में निधारित किया जाता थां नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण विकास एवं पंचवर्षीय योजनाएं स्वतन्त्रता उपरान्त से ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास नितियों को लागू किया जा रहा है, ताकि देश में व्याप्त सामाजिक व आर्थिक विषमताओं के सन्दर्भ में पिछडे एवं वंचित ग्रामीणों का विकास किया जा सके। नियोजन काल के दौरान ग्रामीण विकास के लिए किये गए प्रयासों का विवरण इस प्रकार है-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य रूप सेशोषितों, कृषि एवं सामुदायिक विकास, सिंचाई योजना, बिजली, ग्राम तथा लघु-उद्योगों को को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारत किया गया द्य इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन में भी रिकार्ड वृद्धि हुई

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) में ग्रामीण विकास हैतु प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ही अपनाया गया

www.ignited.in

एवं ग्रामीण क्षेत्र के समुचित विकास के लिए व्यय राशि में बढ़ोतरी की गई

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) के कार्यकाल में उद्योग, खनिज, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गयां इस योजना काल में कुल योजना का 23 प्रतिशत व्यय ग्रामीण विकास पर किया गयां

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में कृषि, शिक्षा, वैज्ञानिकशोध, स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सम्मलित किया गयां परन्तु इस योजना के दौरान ग्रामीण विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि को विशेष महत्व दिया गयां

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-77) के माध्यम से श्रम कल्याण एवं दस्तकारी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए एवं इस योजना में कुल राशि का 25 प्रतिशत खर्च किया गयां

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में ग्रामीण आवास, पोषण आहार एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाओं कीशुरूआत की गई तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल राशि का 26 प्रतिशत खर्च किया गयां ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हैतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का प्रारम्भ भी इसी दौरान किया गयां

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में पूर्व की योजना के पोषण आहार तथा ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रमों को सम्मलित किया तथा ग्रामीण विकास के लिये कुल योजना का 25 प्रतिशत खर्च किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में पहली बार ग्रामीण विकास के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई एवं ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई

नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में जनसहभागिता के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)14 का मुख्य उद्देश्य सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना निर्धारित किया गयां।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के उद्देश्य 2009 तक देश के सभी गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 24 घण्टे बिजली की व्यवस्था करना तथा सभी गांवों में 2012 तक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं निर्धनता अनुपात में 15 प्रतिशत कमी लाना रखा गयां

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़कर आवागमन की उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था एवं 100 दिन की रोजगार गारन्टी योजना लागू कर ग्रामीण बेरोजगारों का जीवन स्तर ऊँचा करने का उद्देश्य रखा गयां

स्वतन्त्रता उपरान्तशु किये गए ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र का सरंचनात्मक बदलाव हुआ है, परन्तु पर्याप्त बदलाव नहीं हो पायां दूसरेशब्दो में ग्रामीण क्षेत्रों में आजभी मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, समुचित शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, शुद्ध-पेयजल, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक समृद्धि का समुचित लाभ ग्रामीण लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया हैं।

उपसंहार

प्रस्तुत अध्ययन के पिछले अध्यायों में ग्रामीण विकास हैतु चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभाव के कतिपय महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहुलओं पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के केन्द्र बिंदु मण्प्रण् के साथ बालाघाट की पंचायत व्यवस्था के क्रियात्मक पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन विश्लेषण करने से पूर्व इस प्राचीन व्यवस्था के इतिहास के स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में इतिहास के विभिन्न चरणों पर दृष्टिपात किया गया है। साथ ही मण्प्रण्पंचायती राज के विकास और इस व्यवस्था की स्थापना में अग्रणी राज्य रहा है इसलिये मध्यप्रदेश में इस व्यवस्था के कार्यकरण सुधार और सफल संचालन हैतु समय-समय परशासन तन्त्र द्वारा जो प्रयत्न हुए उनका विश्लेषण किया गया है। स्थानीय स्वशासन द्वारा ग्रामीण विकास हैतु अलग-अलग योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हैतु प्रयत्न हो रहैहैं जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों में भी अलग-अलग समितियों का निर्माण किया गया हैं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं से आये परिवर्तनों को स्पष्ट किया गया है।

www.ignited.in

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार - भारत में पंचायती राज, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008 अग्रवाल, सत्येन्द्र - ग्रामीण भारत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इशिका पब्लिशिंग हाउस, रीवा, 2012
2. अम्बेडकर, एस. नगेन्द्र, - न्यू पंचायती राज एट वर्क, ए. बी. डी पब्लिसर्स, रीवा, 2000
3. अरोड़ा, रमेश के.एडि.पिपुल - सेन्टर्ड गर्वरनेन्, आलेख पब्लिशिंग हाउस, 1996
4. आशीर्वादम - राजनीति विज्ञान, एस.चाँद कम्पनी लि., नई दिल्ली, 1989
5. औझा, बी. एल. - भारत में आर्थिक पर्यावरण, रमेश बुक डिपो, रीवा, 2010
6. बसु, आचार्य, डॉ. दुर्गादास - भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2006
7. बेदी, किरण - गवरमेंट नेटन्यू गवरनेन्स-ऑर्पोरच्यूनिटिज फोर इण्डिया, सेज पब्लिकेशन, 2001
8. भनोत, डॉ. शिवकुमार - रीवा में पंचायत, यूनिवर्सिटी बुक, हाउस, प्रा.लि.,रीवा, 2002
9. चर्तुवेदी, विनायक - ग्रामीण विकास, प्रिज्म बुक्स, रीवा, 2001
10. चर्तुवेदी, टी.एन. - पंचायत राजः इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1981
11. चौधरी, सी.एम. - ग्रामीण विकास एक अध्ययन, सब लाइम पब्लिकेशनस, रीवा, 1991
12. चौपड़ा, सरोजवाला - स्थानीय प्रशासन, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रीवा, 1998

Corresponding Author

Rajesh Kumar*

VPO-Barsana, Tehsil-Pubdri, District-Kaithal, Haryana

www.ignited.in